दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार
एवं
डॉ0 गो0गि0ला0शा0प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, दिल्ली सरकार
प्लॉट सं.–5, झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली–110005

संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु
खेल प्रतियोगिताओं से सम्बन्धित नियम
(वर्ष 2017–18)

(1) दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन माह नवम्बर 2017 के अन्तिम सप्ताह अथवा दिसम्बर 2017 के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।

(2) खेल प्रतियोगिता समारोह के उद्घाटन–समारोह में सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा सामूहिक मार्च–पास्ट (पथ–संचरण) का आयोजन किया जायेगा। जिसकी व्यवस्था सभी विद्यालयों द्वारा अपने स्तर पर की जायेगी। कार्यक्रम स्थल पर मार्च–पास्ट (पथ–संचरण) के लिये वाद्य यंत्र सामग्री की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की जायेगी।

(3) खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागी निर्धारित वेशभूषा छात्र हाफ टी–शर्ट एवं हाफ पैन्ट तथा छात्राएँ कमीज एवं सलवार में ही भाग ले सकते है।

(4) खेल प्रतियोगिताओं के दौरान निर्णायकों, प्रतिभागियों एवं उनके साथ आये शिक्षकों के लिए जलपान एवं भोजन इत्यादि की व्यवस्था आयोजक मण्डल द्वारा की जायेगी।

(5) खेल प्रतियोगिताओं में सभी प्रतिभागियों एवं उनके साथ आने वाले शिक्षक के लिए आने–जाने की व्यवस्था आयोजक मण्डल द्वारा की जायेगी।

(6) खेल प्रतियोगिताओं में सभी खेलों के नियम एस.जी.एफ.आई. (SGFI) के नियमानुसार ही मान्य होंगे।

(7) खेल प्रतियोगिता में सामूहिक स्तर एवं एकल स्तर के प्रतियोगिताओं में प्रति वर्ग हेतु दो या तीन निर्णायक होंगे।

(8) निर्णायकों का अन्तिम एवं निर्णय सर्वमान्य होगा।

(9) खेल प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत स्तर पर एक छात्र/छात्रा प्रतिभागी के रूप में अधिकतम तीन स्पर्धाओं में भाग ले सकते है।

(10) खेल प्रतियोगिताएँ तीन वर्गों में विभाजित की जायेगी :–

(क)	**प्रथम वर्ग**	**–**	**कक्षा 6 से कक्षा 9 वीं तक**
(ख)	**द्वितीय वर्ग**	**–**	**कक्षा 10 वीं से कक्षा 12 वीं तक**
(ग)	**तृतीय वर्ग**	**–**	**शास्त्री से आचार्य स्तर तक**

(11) खेल प्रतियोगिताएँ दो स्तरों पर पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए अलग–अलग आयोजित की जायेगी :–

(1) सामूहिक स्तर

(2) व्यक्तिगत स्तर (एकल स्तर)

(12) खेल प्रतियोगिता हेतु सामूहिक स्तर एवं एकल स्तर की प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी :–

सामूहिक स्तर पर

प्रथम स्थान	**रुपये 500/–**	**(प्रति छात्र/छात्रा की दर से) (अतिरिक्त खिलाड़ियों सहित)**
द्वितीय स्थान	**रुपये 400/–**	**(प्रति छात्र/छात्रा की दर से) (अतिरिक्त खिलाड़ियों सहित)**
तृतीय स्थान	**रुपये 300/–**	**(प्रति छात्र/छात्रा की दर से) (अतिरिक्त खिलाड़ियों सहित)**

नोट :– सामूहिक स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दल को ट्राफी प्रदान की जायेगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र प्रदान किये जायेंगे।

व्यक्तिगत स्तर पर

प्रथम स्थान	**रुपये 1000/–**
द्वितीय स्थान	**रुपये 800/–**
तृतीय स्थान	**रुपये 500/–**

नोट :– व्यक्तिगत स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को मैडल (स्वर्ण, रजत, ब्रांज) प्रदान किए जायेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र प्रदान किये जायेंगे।

(13) खेल प्रतियोगिता हेतु सामूहिक स्तर एवं एकल स्तर की प्रतियोगिताएँ :–

सामूहिक स्तर की खेल प्रतियोगिताएं

(पुरुष वर्ग)

(1) खो–खो

(2) योग

(3) कबड्डी

(4) बॉलीबॉल (केवल द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग हेतु)

(महिला वर्ग)

(1) खो–खो

(2) योग

व्यक्तिगत स्तर की खेल प्रतियोगिताएं

(पुरुष वर्ग)

(1) दौड़ (धावनम्) (100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर)

(2) लम्बी कूद (दीर्घकूदनम्)

(3) गोला फेंक (गोला–प्रेक्षपणम्)

(4) ऊँची कूद (ऊर्ध्व कूर्दनम्)

(5) ट्रिपल जम्प (त्रिपद कूर्दनम्)

(6) डिस्क फेंक (चक्का) (वृत्त प्रेक्षपणम्)

(महिला वर्ग)

(1) दौड़ (धावनम्) (100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर)

(2) लम्बी कूद (दीर्घकूर्दनम्)

(3) गोला फेंक (गोला–प्रेक्षपणम्)

(14) खेल प्रतियोगिता हेतु सामूहिक स्तर एवं एकल स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने सम्बन्धी नियम :–

सामूहिक स्तर की खेल प्रतियोगिता सम्बन्धी नियम

(पुरुष एवं महिला वर्ग हेतु)

(1) खो–खो :– प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय से नौ खिलाड़ी एवं एक अतिरिक्त खिलाड़ी होंगे।

(2) योग :– प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय चार खिलाड़ी एवं एक अतिरिक्त खिलाड़ी होंगे।

(केवल पुरुष वर्ग हेतु)

(3) कबड्डी :– प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय सात खिलाड़ी एवं दो अतिरिक्त खिलाड़ी होंगे।

(4) बॉलीबाल :– प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय छः खिलाडी एवं दो अतिरिक्त खिलाड़ी होंगे।

(केवल द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग हेतु आयोजित की जायेंगी)

व्यक्तिगत (एकल) स्तर की खेल प्रतियोगिता सम्बन्धी नियम

(पुरुष एवं महिला वर्ग हेतु)

(1) दौड़ (धावनम्) :–

प्रत्येक वर्ग में पुरूष वर्ग में एक विद्यालय/महाविद्यालय से दो छात्र भाग लेंगे तथा महिला वर्ग में एक विद्यालय/महाविद्यालय से चार छात्राएँ एक स्पर्धा में भाग ले सकती हैं।

(2) लम्बी कूद (दीर्घकूदनम्) :–

प्रत्येक वर्ग में पुरूष वर्ग में एक विद्यालय/महाविद्यालय से दो छात्र भाग लेंगे तथा महिला वर्ग में एक विद्यालय/महाविद्यालय से चार छात्राएँ एक स्पर्धा में भाग ले सकती हैं।

(3) गोला फेंक (गोला–प्रेक्षपणम्) :–

प्रत्येक वर्ग में पुरूष वर्ग में एक विद्यालय/महाविद्यालय से दो छात्र भाग लेंगे तथा महिला वर्ग में एक विद्यालय/ महाविद्यालय से चार छात्राएँ एक स्पर्धा में भाग ले सकती हैं।

(केवल पुरुष वर्ग हेतु)

(4) ऊँची कूद (ऊर्ध्व कूर्दनम्) :–

प्रत्येक वर्ग में एक विद्यालय/महाविद्यालय से दो खिलाड़ी भाग लेंगे।

(5) ट्रिपल जम्प (त्रिपद कूर्दनम्) :–

प्रत्येक वर्ग में एक विद्यालय/महाविद्यालय से दो खिलाड़ी भाग लेंगे।

(6) डिस्कस फेंक (चक्का) (वृत्त प्रेक्षपणम्) :–

प्रत्येक वर्ग में एक विद्यालय/महाविद्यालय से दो खिलाड़ी भाग लेंगे।

❋❋❋❋❋❋

दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार
एवं
डॉ0 गो0गि0ला0शा0प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, दिल्ली सरकार
प्लॉट सं.–5, झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली–110005

संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु खेल प्रतियोगिता प्रविष्टि–पत्र (वर्ष 2017–18)

1. प्रतियोगिता वर्ग :– ....
2. प्रतियोगिता स्तर :– ....
3. प्रतियोगिता का नाम :– ....
4. विद्यालय/महाविद्यालय का नाम व पता :– ....
....
.... पिन कोड :– ....
5. विद्यालय/महाविद्यालय का दूरभाष संख्या :– ....
6. विद्यालय/महाविद्यालय की ई.मेल :– ....

क्र.स.	प्रतिभागियों का नाम	दूरभाष संख्या	ई.मेल
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

दिनांक :–

विद्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
मुहर सहित

आवश्यक नोट :– 1. इस प्रपत्र भरकर शीघ्रातिशीघ्र अकादमी कार्यालय की ई.मेल आई.डी. अथवा डाक द्वारा प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
2. कृपया प्रपत्र को स्वच्छ हिन्दी के अक्षरों में भरे जिससे चैक एवं प्रमाण–पत्र बनाने में असुविधा न हो।